



## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत मोहम्मद रकीब पिता मोहम्मद हसीम, मोहम्मद जमशेद पिता मोहम्मद सदिक, मोहम्मद नौशाद पिता मोहम्मद सदिक, कुयसीन अख्तर पति मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद खुर्शीद पिता इब्राहिम मियां निवासी ग्राम: राजधर थाना: पिपरवार जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिजैन, तोरहद, कनौदा, मंगरदाहा और कुटकी खुर्द, थाना सं: 83, 93, 81, 80 और 86, ग्राम: बिजैन (रैयती) खाता सं. 09 के अधीन प्लॉट सं. 308, 332, 117, 70 और 62, खाता सं. 2/6 के अधीन प्लॉट सं. 98, ग्राम: तोरहद (रैयती) खाता सं. 02 के अधीन प्लॉट सं. 62 और 104 (पी), ग्राम: कनौदा, (गैरमजूरवा) खाता सं. 01/3 के अधीन प्लॉट सं. 41/2 (पी), खाता सं. 9 के अधीन प्लॉट सं. 36 (पी), खाता सं. 1 के अधीन प्लॉट सं. 40, ग्राम: मंगरदाहा (रैयती) खाता सं. 9 के अधीन प्लॉट सं. 297, ग्राम: कुटकी खुर्द, (रैयती) खाता सं. 11 के अधीन प्लॉट सं. 9, कुल रकबा - 10.006 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि बिजैन, तोरहद, कनौदा, मंगरदाहा और कुटकी खुर्द, थाना सं: 83, 93, 81, 80 और 86, ग्राम: बिजैन (रैयती) खाता सं. 09 के अधीन प्लॉट सं. 308, 332, 117, 70 और 62, खाता सं. 2/6 के अधीन प्लॉट सं. 98, ग्राम: तोरहद (रैयती) खाता सं. 02 के अधीन प्लॉट सं. 62 और 104 (पी), ग्राम: कनौदा, (गैरमजूरवा) खाता सं. 01/3 के अधीन प्लॉट सं. 41/2 (पी), खाता सं. 9 के अधीन प्लॉट सं. 36 (पी), खाता सं. 1 के अधीन प्लॉट सं. 40, ग्राम: मंगरदाहा (रैयती) खाता सं. 9 के अधीन प्लॉट सं. 297, ग्राम: कुटकी खुर्द, (रैयती) खाता सं. 11 के अधीन प्लॉट सं. 9 कुल रकबा - 10.006 एकड़ के तहत मोहम्मद रकीब पिता मोहम्मद हसीम, मोहम्मद जमशेद पिता मोहम्मद सदिक, मोहम्मद नौशाद पिता मोहम्मद सदिक, कुयसीन अख्तर पति मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद खुर्शीद पिता इब्राहिम मियां ग्राम: राजधर, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
१२/११/१८

  
०९/०२/१८